न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 192/2019 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :–** 2019/01151
दायर दिनांक :– 23.10.2019 **निर्णय दिनांक :–** 09.01.2025

1. चन्दनसिंह पुत्र हाथीसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. जबरसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. हनुमानसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
4. नारायणसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी

–प्रार्थीगण

बनाम

1. नाथूसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
2. मेघसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
3. अमरचन्द पुत्र रामनारायण जाति माहेश्वरी निवासी जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
4. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण जाति महेश्वरी पुगंलिया नि. जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर
5. मनोहरलाल पुत्र जुगताराम जाति सुथार निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
6. नैनी पत्नी मनोहरलाल जाति सुथार निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
7. बालुकंवर पत्नी लादूसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
8. संतोष कंवर पत्नि चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
9. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
10. कैलाश कंवर पत्नी उम्मेदसिंह जाति राजपूत निवासी डावल तहसील सांचोर जिला जालोर
11. मुकेश व्यास पुत्र जानकीवल्लभ जाति व्यास ब्राहमण निवासी पहली गली चौपासनी मन्दिर के पास चौपासनी गांव जोधपुर
12. रंजना व्यास पत्नी मुकेश व्यास जाति व्यास ब्राहमण निवासी पहली गली चौपासनी मन्दिर के पास चौपासनी गांव जोधपुर
13. शैतानाराम पुत्र जुगताराम जाति सुथार निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
14. शांति पत्नी शैतानाराम जाति सुथार निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
15. गोपालसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत निवासी पीलवा तहसील देचू जिला फलोदी
16. मनोहरलाल पुत्र खींयाराम जाति सुथार निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
17. शांतिदेवी पत्नी पूनाराम जाति जाट निवासी गोपालपुरा तहसील शेरगढ जिला जोधपुर
18. रामसिंह पुत्र सांवतसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
19. रधुवीरसिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
20. उम्मेदसिंह पुत्र सुरतानसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
21. चन्दनसिंह पुत्र सुरतानसिंह जाति राजपूत निवासी बारू तहसील बाप जिला फलोदी
22. शिवलाल पुत्र शेराराम जाति विश्नोई निवासी सुरपुरा तहसील व जिला जोधपुर
23. अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड फलोदी तहसील व जिला फलोदी
24. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री करणीसिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता अप्रार्थी

09/01/25
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

—:: निर्णय ::—

प्रार्थीगण ने एक नियमित राजस्व वाद घोषणा एवं जारी करवाने स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय हाजा में अप्रार्थीगण के विरूद्व पेश किया है प्रार्थीगण का वाद अभिवचन एवं दस्तावेजात के अधार पर प्रथम दृष्टयां साबित है एवं प्रार्थीगण को वाद में सफलता मिलने की शत प्रतिशत उम्मीद है। ग्राम बारू में खसरा नम्बर 880 रकबा 465—07 बीघा, खसरा नम्बर 935 रकबा 152—03 बीघा, खसरा नम्बर 946 रकबा 115—03 बीघा, खसरा नम्बर 949 रकबा 13—03 बीघा, खसरा नम्बर 950 रकबा 220—08 बीघा, खसरा नम्बर 1259 रकबा 185—07 बीघा तथा खसरा नम्बर 1501 रकबा 187—03 बीघा काश्त भूमि प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी अधिकारों कब्जा काश्त की स्थित है। अस्थायी निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 22 इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित सभी खसरान् के बटा नम्बरान में प्रार्थीगण के उक्त हक हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न स्वंय करे न किसी अन्य से करवावे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे। जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर बंद किया गया। शेष अप्रार्थीगण के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी इत्यादि का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि विवादग्रस्त खसरान् की भूमि में प्रार्थीगण का हक हिस्सा बनता है या नहीं इसका निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही तय किया जा सकता है। अतः पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात के आधार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.01.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

09/01/25

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)